सत्यमेव जयते

संख्या– /जी0एस0(शिक्षा)/**A16-23**/2024

प्रेषक,

लक्ष्मण राम आर्य
कुलाधिपति के उपसचिव।

सेवा में,

कुलपति,
सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय,
अल्मोड़ा।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड : देहरादून : दिनांक : 19 दिसम्बर, 2025

महोदय,

कृपया सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा द्वारा पत्रांक–1089 दिनांक 04 मई, 2024 तथा अस्थाई सम्बद्धता पोर्टल पर प्रस्ताव क्रमांक 230523120358, प्रस्ताव क्रमांक 240506113554 एवं प्रस्ताव क्रमांक 241209031824 के माध्यम से राज्यपाल सचिवालय को प्रेषित प्रस्तावों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उपरोक्त सन्दर्भ के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नियामक संस्था, निरीक्षण मण्ड़ल, कुलपति व कुलसचिव, सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 की धारा–33(1) के अधीन निम्नवत् संस्थान को उसके सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रम, सीटों एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण हेतु मा0 कुलाधिपति द्वारा निम्नवत् उपबन्धों के साथ पूर्वानुमोदन प्रदान किया गया है :–

संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम	सीट संख्या प्रति सत्र	शैक्षिक सत्र
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजकीय महाविद्यालय, तल्ला सल्ट, अल्मोड़ा	बी0ए0 हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र)	140	2022–23 2023–24 2024–25 2025–26

(1) प्रस्तावों में छात्रों के व्यवहारिक ज्ञान एवं प्रशिक्षण हेतु किये गये अनुबन्ध से संबंधित साक्ष्य संलग्न नहीं हैं। इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय को निदेशित किया जाता है कि प्रश्नगत अस्थाई सम्बद्धता के आदेश निर्गत किये जाने से पूर्व महाविद्यालय से अनुबन्ध होने की पुष्टि कर ली जाये।

(2) नियामक संस्था, राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सभी मानकों के पूर्ण होने की दशा में ही कार्यपरिषद के अनुमोदन से विहित शर्तों/उपबन्धों के अधीन अस्थाई सम्बद्धता के आदेश निर्गत करे व तत्सम्बन्धी कार्यवाही की सूचना मा0 कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ उपलब्ध कराये। अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव नियामक संस्था, शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार किये जायें अन्यथा की स्थिति में अपूर्ण प्रस्ताव पर विचार नही किया जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय का होगा।

File No. RB-EDUC02/274/2024-RAJBHAWAN (Computer No. 1598)
Generated from eOffice by VED PRAKASH MUHAR, RO-VPM, REVIEW OFFICER, Rajbhawan Uttarakhand on 19/12/2025 11:45 am

(3) यदि कोई सूचना या तथ्य भविष्य में गलत पाया जाता है, तो निर्गत अनुमति/सम्बद्धता को निरस्त कर संस्थान के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।

Digitally signed by Shri Laxman Ram Arya
Date: 18-12-2025 17:33:07

भवदीय,

(लक्ष्मण राम आर्य)
कुलाधिपति के उपसचिव।

संख्या– 4225 (1)/जी0एस0(शिक्षा)/**A16-23**/2024 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी।
3. प्राचार्य/निदेशक, संबंधित संस्थान।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

ह./–

(लक्ष्मण राम आर्य)
कुलाधिपति के उपसचिव।